

शेखावाटी को मिलने वाले यमुना जल का इंतजार होगा खत्म : भजनलाल शर्मा

यमुना जल समझौते की क्रियान्वयन के लिए जल्द ही बनेगी ज्वाइंट टास्क फोर्स

जयपुर/नई दिल्ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के शेखावाटी अंचल के किसानों को जल्द ही यमुना जल का लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के समक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ आज चर्चा पूरी हो गई है। शर्मा ने कहा कि इस जल समझौते की जल्द क्रियान्वित के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों की एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनेगी, जो की डीपीआर पर काम करेगी।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना जल के संबंध में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के समक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ चर्चा की।

पूरे देश में पानी की कमी नहीं होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने

मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि हरियाणा में जो अतिरिक्त पानी है, वह

राजस्थान को मिले यह एक सकारात्मक पहल है।

‘विशेषज्ञ कमेटी ने सवाल सही जांचे हैं’

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 लेवल प्रथम की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली अपील याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश कमिल कुमार व अन्य के साथ दायर एक दर्जन से अधिक अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिए। खंडपीठ ने कहा कि विशेषज्ञ कमेटी ने सवालों के जवाब सही जांचे हैं और उसमें अदालत को हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली अपील याचिकाओं को खारिज किया

सवालों के जवाब गलत जांच गए। ऐसे में उत्तर कुंजी को हाईकोर्ट की एकलपीठ के समक्ष याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मान्यता प्राप्त पुस्तकों के अनुसार उनकी ओर से दिए जवाब सही हैं और भर्ती एजेंसी ने सवालों के जवाब गलत

जांचे हैं। अपील में कहा गया कि एकलपीठ ने 31 मई को याचिकाओं को खारिज कर दिया था। ऐसे में एकलपीठ के आदेश को रद्द करते हुए उत्तर कुंजी को निरस्त किया जाए और विशेषज्ञ कमेटी गठित कर विवादित सवालों को जांच के लिए भेजा जाए। जिसके जवाब में भर्ती एजेंसी के वकील निलम नारायण ने कहा कि विशेषज्ञ कमेटी की ओर से उत्तर जांचने के बाद ही उत्तर कुंजी जारी की गई थी। एकलपीठ ने भी याचिकाएं खारिज कर चुकी हैं। ऐसे में इस संबंध में दायर अपीलों को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खंडपीठ ने अपीलों को खारिज कर दिया है।

दिव्यांग गृह के अधीक्षक सहित अन्य कर्मचारियों के खिलाफ जांच के आदेश

जयपुर। एसटी, एससी मामलों की विशेष अदालत ने जामडोली स्थित वॉटिक दिव्यांग गृह की कमियों को उजागर करने पर तत्कालीन महिला केयर टेकर को प्रताड़ित करने के मामले में गृह अधीक्षक गौरव शर्मा, गाई सुपरवाइजर सुरजित, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रुक्मणी और महिला गाई तारा और शौला के खिलाफ कानोना थाना पुलिस को मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश तत्कालीन महिला केयर टेकर के परिवार पर सुनवाई करते हुए दिए।

परिवार में अधिवक्ता असलम खान ने बताया कि परिवारी दिव्यांग गृह की महिला विंग में केयर टेकर के तौर पर संविदा पर कार्यरत थी। इस दौरान उसने गृह में कई कमियां देखा। उसने दिव्यांग बालिकाओं के बिस्तरों में कीड़ों की शिकायत की शिकायत उच्चाधिकारियों को करने की कोशिश की, लेकिन नर्सिंग स्टाफ ने उसे रोक लिया। इसकी शिकायत उसने अधीक्षक गौरव शर्मा से की तो उसने भी परिवारी को भगा दिया। वहीं गत 11 अक्टूबर को अधीक्षक के कहने पर टेकेदार ने उसे नौकरी से निकाल दिया। परिवार में आरोप लगाया कि आरोपियों ने उससे मारपीट की और प्रताड़ित किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कानोना थाना पुलिस को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं।

मदन राठौड़ ने तिलहन एवं दलहन उत्पादन पर दिये सुझाव

जयपुर। नई दिल्ली में आज कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधित संसदीय स्थाई समिति की बैठक आयोजित की गई। संसदीय शोध भवन परिसर में आयोजित बैठक लोकसभा सांसद चरणजीत सिंह चर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। “देश में तिलहन एवं दलहन का उत्पादन एवं उपलब्धता” विषय पर आधारित बैठक में राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी उपस्थित रहे।

राठौड़ ने कहा कि दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ हमें पॉम आयल के सेक्टर में भी अध्ययन करना चाहिए। विदेशों में पॉम आयल के उत्पादन और वैश्विक स्तर पर इसकी सप्लाई की जा रही है, ऐसे में हमें भी इस सेक्टर में अध्ययन करना चाहिए। बैठक में दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि पर भी चर्चा की गई। इस दौरान समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।

मानवता की सेवा प्राथमिकता और जिम्मेदारी : प्रो. दुबे

जयपुर। मानवता की सेवा उच्चतम आदर्श है, जो समाज के प्रति दायित्व का बोध कराती है। यह न केवल नैतिक ज़िम्मेदारी है, बल्कि समाज में सद्भाव, एकता और भाईचारे को प्रोत्साहित करने का सशक्त माध्यम भी है। यह बात मंगलवार को जगदुह रामानंदचारा राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रामसेवक दुबे ने उनी बच्चों के वितरण समारोह में कहा। मित्राय फाउंडेशन के और से विश्वविद्यालय में

हुए समारोह के मुख्य अतिथि कैप्टन शशिकिरण ने कहा कि व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी घबराना नहीं चाहिए और मानवता के कल्याण के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। मानवता की सेवा का उद्देश्य शारीरिक रूप से मदद करना नहीं है, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक समर्थन भी प्रदान करना है। मित्राय फाउंडेशन के विनीत शर्मा और रश्मि शर्मा ने कहा कि हर व्यक्ति

का कर्तव्य है कि वह दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़े, चाहे यह समय, संसाधन या श्रम के रूप में हो। यह न केवल आंतरिक शक्ति और संतोष देता है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान भी करता है। समारोह संयोजक शास्त्री कोसलेन्द्रदास ने बताया कि विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं के साथ ही लगभग 200 जरूरतमंद लोगों को शॉल, ऊनी वस्त्र वितरित किए गए।

दवाओं और गहनों की गुणवत्ता की नियमित जांच के निर्देश

जयपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि आगामी समय में शायदियों के सीजन को ध्यान में रखते हुए ज्वेलरी की गुणवत्ता की जांच के लिए अभियान शुरू करें। गोदारा आज सचिवालय में राज्य उपभोक्ता संरक्षण



खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को सचिवालय में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित किया।

ऑनलाइन खरीद और साइबर फ्राडम रोके जाने की बने ठोस कार्य योजना : गोदारा

परिषद की बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश के लोग अपनी आध क ज्यादा धन ज्वेलरी खरीदने में खर्च करते हैं। वो किसी भी प्रकार से ठगी के शिकार नहीं हो इसके लिए उन्हें जागरूक करना आवश्यक है। साथ ही निर्देश दिए कि दुकानदार द्वारा उपभोक्ता को दिये गए बिल पर हॉल मार्क की जानकारी अवश्य लिखी होनी चाहिए। सर्राफा बाजार में हॉल मार्क सेंटर की जानकारी क्यू आउट के माध्यम से दी जाए। अभी तक राज्य में कुल 20 जिलों में हॉलमार्क सेंटर स्थापित किये जा चुके हैं। गोदारा ने उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन व संरक्षण के लिए एवं उपभोक्ताओं को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए इनका समर्थन रूप से निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय

दुकानदारों द्वारा दिये जाने वाले बिल पर उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर अंकित किये जाय, सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि यदि आप उत्पाद से संतुष्ट नहीं हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मानव जीवन से जुड़ी दवाइयों की विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए एवं पनीर, दूध एवं मावा की रेंडमली जांच करने के निर्देश दिए। बीमा क्लेम व रियल एस्टेट के प्रकरणों का निस्तारण भी शीघ्रता से किया जाय। उन्होंने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए वीसी के माध्यम सुनवाई की व्यवस्था शुरू करने के बारे में कहा कि यह बुजुर्गों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। समय-समय पर उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए संभाषण स्तर पर कार्यशालाएं एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैटक की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद से संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

1930 पर सूचित करें। राज्य में कुल 36 साइबर स्टेशन क्रियाशील हैं, कुल 1930 साइबर कमांडो तैयार किये जा रहे हैं। इस पर पूरा फोकस है। ठगी होने के 4 घंटे के भीतर ही यदि शिकायत दर्ज हो जाती है तो पैसा रिक्वर होने की संभावना अधिक रहती है। प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने कहा कि विश्व उपभोक्ता दिवस पर 15 फरवरी से 15 मार्च तक उपभोक्ता माह के रूप में मनाया जाएगा। प्रारंभ में उन्होंने बैटक की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद से संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

15 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा संचालित मांसपेशीय दुर्बिकता से पीड़ित विशेष योग्यजनों को दिये जाने की घोषणा की गई थी। इच्छुक आवेदक अपने आवेदन प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में ऑफलाइन आवेदन संबंधित जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अंतिम दिनांक तक प्रस्तुत करें।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार बजट वर्ष 2024-25 की घोषणा संख्या 93 (2) के अन्तर्गत मांसपेशीय दुर्बिकता से पीड़ित विशेष योग्यजनों को दिये जाने की घोषणा की गई थी। इच्छुक आवेदक अपने आवेदन प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में ऑफलाइन आवेदन संबंधित जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अंतिम दिनांक तक प्रस्तुत करें।

युवा महोत्सव 8 से 12 तक

जयपुर। राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी) के उपलक्ष्य में पांच दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 8 से 12 जनवरी तक सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया जाएगा। बुधवार दोपहर 12:30 बजे आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह में युवा मामले एवं खेल विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और राज्य मंत्री कृष्ण कुमार के.के. विश्वादेव की उपस्थिति रहेगी। वहीं, 12 जनवरी को आयोजित होने वाले पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे, जबकि युवा मामले एवं खेल विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और राज्य मंत्री कृष्ण कुमार के.के. विश्वादेव विशिष्ट अतिथि होंगे।

निर्माण स्थलों पर लापरवाही मिली तो कार्रवाई होगी : डॉ. रश्मि शर्मा



हाऊसिंग बोर्ड कमिश्नर डॉ. रश्मि शर्मा ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। हाऊसिंग बोर्ड कमिश्नर डॉ. रश्मि शर्मा ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग, भूमि बैंक, महत्वपूर्ण न्यायिक मामले, जलापूर्ति, सीवर लाइन, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट, डीएलपी कार्य, वृक्षारोपण अभियान और आगामी “बुधवार नीलामी उत्सव” को लेकर चर्चा की। आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी अधिकतम काम ऑनलाइन करके पारदर्शिता लाएं। उन्होंने बुधवार नीलामी उत्सव में अधिशेष संपत्तियों को शामिल करने की तैयारियों पर चर्चा की। डॉ.शर्मा ने अधिकारियों और इंजीनियर्स को चेतावटी दिए कि निर्माण स्थल पर बचाव और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य शुरू होने से पहले वहां बोर्ड लगाया जाए, बैरिकेडिंग कर रिफ्लेक्टर लगाये जाए जिससे कि कोई हादसा ना हो। इसमें किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग, भूमि बैंक, महत्वपूर्ण न्यायिक मामले, जलापूर्ति, सीवर लाइन, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट, डीएलपी कार्य, वृक्षारोपण अभियान और आगामी “बुधवार नीलामी उत्सव” को लेकर चर्चा हुई

उपलब्ध भूमि संसाधनों की पहचान और दस्तावेजीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि अभियंता फील्ड में जाकर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अचल जमीनों के प्रस्ताव तैयार करें। पारदर्शिता बनाए रखने और अतिक्रमण को रोकने के लिए आवासन आयुक्त ने क्षेत्र में मंडल की सभी जमीनों पर बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए।

जलापूर्ति-सीवर लाइन में कोताही पर होगी कार्रवाई

डॉ शर्मा ने परियोजनाओं में जलापूर्ति और सीवर लाइन की कार्य प्रगति की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी योजना के निर्माण कार्य के आरंभ होने से पहले ही सीवर लाइन तथा जलापूर्ति संबंधी प्लानिंग की जाए। हमे हमेशा दो कदम आगे का सोचकर प्लानिंग करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने हस्तांतरण

की जा चुकी परियोजनाओं में भी नियमानुसार रखरखाव के निर्देश दिए। जलापूर्ति और सीवर लाइन में कोताही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉ. शर्मा ने सड़क निर्माण एवं रखरखाव के साथ-साथ स्ट्रीट लाइटों को लगाने एवं मरम्मत का आग्रह किया। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि डिफेक्ट लॉयबिलिटी पीरियड के तहत होने वाले कार्यों को डीएलपी नियमानुसार ही करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी परिस्थिति में ऐसे कार्यों के लिए पुनः वित्तीय स्वीकृति नहीं जारी की जाए, अगर ऐसे मामले सामने आये तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस बैठक में मुख्य सम्पदा प्रबंधक प्रवीण अग्रवाल, मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल, मुख्य अभियंता मुख्यालय तेजवीर मीना, मुख्य नगर नियोजक अनिल माधुर, वित्तीय सलाहकार रोहताश यादव सहित समस्त अधिकारी एवं अभियंता उपस्थित रहे।

एच.एम.पी. वायरस सामान्य रोग, घबराने की जरूरत नहीं : खींवसर

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा है कि देश में कुछ राज्यों में ह्यूमन मेटाइन्यूमो वायरस (एचएमपीवी) के कुछ केस सामने आए हैं, लेकिन इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। खींवसर ने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार यह वायरस वर्ष 2001 से मौजूद है, लेकिन रोगियों पर इसका प्रभाव सामान्य रहा है। इस वायरस से मौत का कोई मामला और चिंताजनक स्थिति सामने नहीं आई है।

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि “चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार यह वायरस वर्ष 2001 से मौजूद है, लेकिन रोगियों पर इसका प्रभाव सामान्य रहा है। इस वायरस से मौत का कोई मामला और चिंताजनक स्थिति सामने नहीं आई है।”

खींवसर ने कहा है कि प्रतिवर्ष की भांति सर्दी के मौसम को देखते हुए बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं एवं गंभीर रोगों से प्रसिक्त व्यक्ति सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि होने पर अस्पताल में चिकित्सक से परामर्श लें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार को इस वायरस के संबंध में सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भी रण्ट किया गया है कि यह वायरस घातक नहीं है। खांसी-जुकाम जैसे सामान्य लक्षणों के साथ सर्दी के मौसम में आमतौर पर कुछ केस इस वायरस के सामने आते रहे हैं, जिस

कम में विगत कुछ माह में मार्च से दिसम्बर तक देशभर में 9 केस चिन्हित हुए हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार के अनुसार एचएमपी वायरस का प्रसार वर्तमान में नगण्य है, लेकिन फिजि भी एहतियात के तौर पर प्रदेशभर में चिकित्सा अधिकारियों को सजग एवं सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, जांच, उपचार सहित अन्य आवश्यक तैयारियों सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में इस वायरस की प्रमाणिक जांच के लिए 5 वीआरडीएल लैब एम्स जोधपुर, सवाई मानसिंह। अस्पताल जयपुर, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर। एवं एएसएम मेडिकल कॉलेज जोधपुर में उपलब्ध हैं। किसी भी अस्पताल में इस वायरस के लक्षणों से संबंधित गंभीर रोगी सामने आने पर इन लैब में जांच करवाई जा सकती है।

खींवसर ने कहा है कि कोई भी निजी अस्पताल किसी रोगी में इस वायरस के संभावित लक्षण पाए जाने पर प्रमाणिक जांच के लिए सैम्पल इन वीआरडीएल लैब में ही भिजवाएं। साथ ही, इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को भी सूचित करें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि डूंगरपुर का दो माह का एक बच्चा अहमदाबाद में उपचाराधीन है। प्री-मैच्योर डिलीवरी से जन्मे इस बच्चे में एचएमपी वायरस के लक्षण सामने आए हैं, लेकिन बच्चे की स्थिति वर्तमान में सामान्य है। सर्दी, खांसी-जुकाम से पीड़ित यह बच्चा उपचार के दौरान अहमदाबाद में निजी अस्पताल में 26 दिसम्बर को एचएमपीवी से पाजिटिव पाया गया था, जिसका उपचार चल रहा है और वह फिलहाल ठीक है।

जयपुर जिले में 62 हजार 688 मतदाताओं की वृद्धि

जयपुर। विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के तहत जयपुर जिले में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया है। जिला कलेक्टर ने मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बैठक का आयोजन हुआ। उप जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 (29 अक्टूबर से 28 नवम्बर) के पूर्व जिले में 52 लाख 7 हजार 669 मतदाता थे एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम के पश्चात 52 लाख 70 हजार 337 मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के दौरान 83 हजार 311 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए एवं 20 हजार 643 (मृत, स्थानान्तरित और दोहरी प्रविष्टि) मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। इस प्रकार जिले में कुल शुद्ध वृद्धि 62668 की हुई है।

युवा मामले एवं खेल मंत्री ने समिति पदाधिकारियों के साथ की बैठक

आगन्तुकों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश

आशीष कुमार ने बताया कि जिले में सर्वाधिक 4 हजार 38 महिला मतदाताओं के नाम कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र में जोड़े गए जिले में सर्वाधिक 5 हजार 871 पुरुष मतदाताओं के नाम कोटपूतली विधानसभा में जोड़े गए। वर्तमान में जिले में सर्वाधिक मतदाता 453825 झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में है। उन्होंने बताया कि विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के पश्चात जयपुर जिले की 19 विधानसभा क्षेत्रों में 66 हजार 349 पुरुष एवं 47 हजार 268 महिला युवा (18-19 वर्ष) मतदाता हैं। विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के दौरान जयपुर जिले की 19 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वाधिक 9 हजार 909 मतदाताओं के नाम कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र में जोड़े गए। वर्तमान में जिले में सबसे कम मतदाता 1 लाख 97 हजार 9 किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में है।